न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
43 / 2018 / प्रा.पत्र / 2018	06.07.2018	20.06.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन जाति महाजन निवासी वार्ड नं0 2, टोंक रोड उनियारा जिला टोंक मैसर्स बाबूलाल ओमप्रकाश बस स्टेण्ड उनियारा जिला टोंक। पिनकोड–304024

2–मैसर्स बाबूलाल ओमप्रकाश बस स्टेण्ड उनियारा जिला टोंक। पिनकोड–304024

3–श्री हरिनारायण शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स सपना ट्रेंडिग कम्पनी पुरानी नगरपालिका के पीछे उनियारा जिला टोंक राज0। पिनकोड–304024

4–मैसर्स सपना ट्रेंडिग कम्पनी पुरानी नगरपालिका के पीछे उनियारा जिला टोंक राज0। पिनकोड–304024

5–श्री शान्तिलाल जुवारिंग पुरोहित नॉमिनी मैसर्स जे.पी.फूडस (डीवीजन ऑफ जे.पी.टी.पी. प्रा0 लि0) एफ–527, वीकेआई एरिया, रोड नं0 6, जयपुर राज0। पिनकोड–302013

6–मैसर्स जे.पी.फूडस (डीवीजन ऑफ जे.पी.टी.पी. प्रा0 लि0) एफ–527, वीकेआई एरिया, रोड नं0 6, जयपुर राज0। पिनकोड–302013

7–श्री देवेन्द्र सुरेश भाई पटेल नॉमिनी मैसर्स जे.पी.फूडस (डीवीजन ऑफ जे.पी.टी.पी. प्रा0 लि0) खसरा नम्बर 109 / 33, सीमेन्ट चावल, कामदार मैदान, गोमतीपुर रोड, अहमदाबाद, गुजरात। पिनकोड–380021

8–मैसर्स जे.पी.फूडस (डीवीजन ऑफ जे.पी.टी.पी. प्रा0 लि0) खसरा नम्बर 109 / 33, सीमेन्ट चावल, कामदार मैदान, गोमतीपुर रोड, अहमदाबाद, गुजरात। पिनकोड–380021

9–श्री अजीतभाई मोहनभाई केमकर नॉमिनी मैसर्स जे.पी.फूडस (डीवीजन ऑफ जे.पी.टी.पी. प्रा0 लि0) 215, बुदासन, काडी–छतराल रोड, तालुकाः काडी, जिला मेहसाना गुजरात। पिनकोड–382715

10– मैसर्स जे.पी.फूडस (डीवीजन ऑफ जे.पी.टी.पी. प्रा0 लि0) 215, बुदासन, काडी–छतराल रोड, तालुकाः काडी, जिला मेहसाना गुजरात। पिनकोड–382715

............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री तेजमल जैन उप.।

:–निर्णय–: दिनांक **20.06.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 19.02.2018 को समय 02:40 पीएम मैसर्स बाबूलाल ओमप्रकाश बस स्टेण्ड उनियारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ 100 ग्राम पैक के लगभग 80 पैकेट पैक्ड अवस्था में **छोले मसाले मिक्स स्पाईसेस (वन्डर ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर कारोबारकर्ता श्री ओमप्रकाश जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर प्रतियों में श्री ओमप्रकाश जैन व गवाह के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा विक्रेता को बताकर कि यह **छोले मसाले मिक्स स्पाईसेस (वन्डर ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 18002 एवं पैकिंग की दिनांक 10.01.2018 थी, वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, 100–100 ग्राम के 20 पैकेट खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **छोले मसाले मिक्स स्पाईसेस (वन्डर ब्राण्ड)** 100–100 ग्राम के कुल 20 पैकेट में से 5–5 पैकेट के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–1864 दर्ज कर, कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1864 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री ओम प्रकाश जैन ने बतौर वारन्टी मैसर्स सपना ट्रेंडिग कम्पनी पुरानी नगरपालिका के पीछे उनियारा जिला टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया तथा मैसर्स सपना ट्रेंडिग कम्पनी ने बतौर वारन्टी मैसर्स जे.पी.फूडस (डीवीजन ऑफ जे.पी.टी.पी. प्रा० लि०) एफ–527, वीकेआई एरिया, रोड नं0 6, जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./18/862 दिनांक 26.03.2018 के द्वारा ज्ञात

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./93/एक्ट/2018/106 दिनांक 16.03.2018 के अनुसार कारोबारकर्ता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **छोले मसाले मिक्स स्पाईसेस (वन्डर ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) का उल्लघंन करने के कारण **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री तेजमल जैन उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसमें नमक की मात्रा मानक स्तर से कुछ अधिक होने के कारण उक्त नमूना अवमानक स्तर का होना पाया गया है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **छोले मसाले मिक्स स्पाईसेस (वन्डर ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगणएवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **छोले मसाले मिक्स स्पाईसेस (वन्डर ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.06.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(सुरेश चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0